## <u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 300 / 2004

संस्थित दि: 12 / 04 / 2004

मध्य प्रदेश शासन द्वारा	आरक्षी केन्द्र बिरसा,	
जिला बालाघाट (म.प्र.)	~ ~ ~	अभियोगी

#### विरुद्ध

रमेश पिता परसादी मरार, उम्र	35 वर्ष, जाति मरार,	
साकिन डोंगरिया थाना बिरसा	जिला बालाघाट (म.प्र.)	 आरोपी

## –:<u>: निर्णय :</u>:–

# <u>(आज दिनांक 14/01/2015 को घोषित किया गया)</u>

- (01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक-23.10.2003 को 17-18 बजे ग्राम डोंगरिया थानांतर्गत बिरसा में मृतक झनकसिंह से लापरवाहीपूर्वक मेन लाईन से तार जुड़वाया, जिसके लगाते समय करेंट लगने से झनकसिंह की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.2003 को ग्राम डोंगरिया में रमेश मरार ने गांव के झनकिसह को अपने साथ घर में बुलाकर यह कहकर ले गया था कि चल आज घर पर काम करना खाना वगैरह वहीं खा लेना। तब रमेश मरार अपने घर की प्रकाश व्यवस्था के लिए झनकिसंह से वायर मेन लाईन में लगवा रहा था तो लापरवाही से वायर लगाते समय मृतक झनकिसंह को करेन्ट लगने से वह फौत हो गया। मृतक झनकिसंह का शव परीक्षण कराने पर चिकित्सक ने मौत इलेक्ट्रिकल शॉक / इलेक्ट्रिकल करेन्ट होना लेख किया। उक्ताशय की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी सालेटेकरी में अपराध क. 0 / 04 अन्तर्गत धारा 304—ए भा.दं.वि. का तथा असल कायमी थाना बिरसा में अपराध क. 18 / 04 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में

लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर धारा 304-ए भा.दं. वि. के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 304-ए का आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा गया।
- आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त (04)करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूंठा फंसाया गया है ।
- आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु (05) विचारणीय है
  - क्या आरोपी ने 23.10.2003 को 17–18 बजे ग्राम डोंगरिया थानांतर्गत बिरसा में मृतक झनकसिंह से लापरवाहीपूर्वक मेन लाईन से तार जुड़वाया, जिसके लगाते समय करेंट लगने से झनकसिंह की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है ?

—::<u>सकारण निष्कर्ष</u>::— अभियोजन साक्षी प्रतापसिंह (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना ग्राम (06)डोंगरिया में आरोपी के घर की है। वह जंगल गया था लकड़ी के लिए। वह शाम करीब 5.00 बजे पहूंचा था। रमेश के बड़े भाई ने बताया कि झनकसिंह आरोपी रमेश के घर के पास मरा पड़ा है। उसने चौकी सालेटेकरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिए थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने स्वीकार किया है कि उसे परसादी पटेल ने बताया था कि झनकसिंह हमारी बाड़ी में मरा पड़ा है। जंगल जाते वक्त अपने लड़के झनक को अपने घर पर ही छोड़कर गया था। झनकसिंह रमेश की बाड़ी में गया था। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 पढ़कर सुनाए जाने पर ऐसा बयान पुलिस को देना स्वीकार किया। उसने अपने लड़क झनकसिंह की मृत्यु हो जाने पर मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट में हस्ताक्षर किया था। मर्ग ALLEN DE

इंटीमेशन प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया कि घटना के सम्बंध में उसे कोई जानकारी नहीं है और पुलिस को प्रदर्श पी—01 का कथन देने से भी इंकार किया।

- (07) अभियोजन साक्षी श्रीमती केसाबाई (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 10—12 वर्ष पुरानी उसके गांव डोंगरिया की है। पति—पत्नि दोनों जंगल गये थे और जंगल से लगभग चार बजे आये थे। उसका लड़का सबेरे रमेश के घर गया था, तब शाम को वापस आने पर पता चला कि उसका लड़का मर गया है। रमेश के घर के सामने मर गया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर स्वीकार किया कि वे सभी लोग घर पर ही थे तो रमेश और मत्तु मरार दोनों उनके घर आये थे। उन्होनें उसके लड़के रमेश को अपने साथ ले गया था और यह भी कहा था कि वहां पर खाना खाकर मेरे साथ यहीं रह लेना। जब जंगल से वापस आये तो बहू तिजियाबाई से पूछा कि झनका कहां है ? फिर वे सभी लोग वहां देखने गये थे। तब वहां पर रमेश की बाड़ी पर उसका लड़का मरा पड़ा था और उसके शरीर पर वायर लपटा पड़ा हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लेख किये थे। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श पी—3 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को देना स्वीकार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण बताया है कि घटना कैसे हुई उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
- (08) अभियोजन साक्षी नरघडु (अ.सा. 5) का कहना है कि उसके घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मंगलुसिंह (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि दिनांक 23.10.2003 को 17–18 बजे ग्राम डोंगरिया में आरोपी रमेश ने झनकसिंह से बिजली का तार लाईन से जुड़वाया, जिससे झनकलाल को करेन्ट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसे नहीं मालूम कि घटना रमेश की लापरवाही से हुई।
- (09) अभियोजन साक्षी धनीराम (अ.सा. 8) का कहना है कि मृतक झनकसिंह की मृत्यु जांच पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर हस्ताक्षर किये थे। मृतक झनकसिंह को जब

शब परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था तब उसने उस पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसने पुलिस के कहने पर पंचनामा पर हस्ताक्षर किये थे।

- (10) अभियोजन साक्षी डॉ. डी.सी. धुर्वे (अ.सा. 6) का कहना है कि दिनांक 24. 10.2003 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालेटेकरी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक कपूरचंद कमांक 458 चौकी सालेटेकरी द्वारा उसके समक्ष मृतक धनसिंह व. प्रतापसिंह ग्राम डोंगरिया के शव को शव परीक्षण हेतु लाया गया था। शव परीक्षण में उसके बांये हाथ की कलाई के जोड़ के बाजू में इलेक्ट्रिक करेंट से बना वुण्ड का निशान था, जिसका आकार 1X3/4 इंच, चमड़ी की गहराई का था। एक वुण्ड 1X3/4 इंच, चमड़ी की गहराई तक कलाई के बाजू में था। उक्त चोटें उसके परीक्षण के 18 से 24 घंटे भीतर की थी और मृत्यु पूर्व की थी। कलाई के बाजू में जो बर्न वुण्ड (इलेक्ट्रिक शॉक/करेंट वुण्ड) उसके परीक्षण के 18 से 24 घंटे भीतर का था। उसके मतानुसार मृत्यु का कारण इलेक्ट्रिक शॉक है जो इलेक्ट्रिक करेन्ट शरीर में लगने के परिणामस्वरूप हुआ है। उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—12 पर उसके हस्ताक्षर है।
- (11) अभियोजन साक्षी वाल्मिकी बंसोड़ (अ.सा. 4) का कहना है कि वह दिनांक 17.3.2004 को पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक कपूरसिंह बिसेन क. 458 द्वारा पुलिस चौकी सालेटेकरी से अपराध क. 0/2004, धारा 304—ए भा.दं.वि. की प्रथम सूचन रिपोर्ट असल कायमी हेतु थाना पर लाया था, जिसे उसने थाने असल अपराध क. 18/2004 धारा 304—ए भा.दं.वि. में पंजीबद्ध किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—11 पर उसके हस्ताक्षर है।
- (12) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी शेख इब्राहिम (अ.सा. 3) का भी कहना है कि उसने दिनांक 17.3.2004 को पुलिस थाना बिरसा में मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी—2 की सूचना दर्ज की, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मौके पर लाश पंचनामा प्रदर्श पी—4 उसके द्वारा पंचों के समक्ष बनाया गया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मर्ग जांच में उसने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—5 तथा नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—6 बनाया था जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उक्त जांच में विद्युत वायर का टुकड़ा एवं दो अन्य

ELLE ST

वायर के टुकड़े जप्त कर जप्तीपत्र प्रदर्श पी—7 बनाया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मृतक झनकसिंह के शव परीक्षण के लिए आवेदन प्रदर्श पी—8 तैयार किया पर उसके हस्ताक्षर है। उसने मर्ग सूचना के आधार पर आरोपी रमेश द्वारा उक्त अपराध किया जाना पाया था, जिससे आरोपी रमेश के विरुद्ध धारा 304—ए भा.दं.वि. में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—9 कायम की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने विवेचना में प्रतापसिंह, केसाबाई, तिजियाबाई, बुधियारीबाई, नन्दगढ़ु, मन्गतु के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे, साक्षियों ने जैसे बताये वैसे ही लेख किये थे और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरुद्ध धारा 304—ए भा.दं.वि. में पेश किया था।

- (13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई है, जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया। मात्र विवेचनाकर्ता एवं कायमीकर्ता ने अपने प्रकरण को बनाकर रखने हेतु असत्य कथन किये है, जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन हो जाने से अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।
- (14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।
- (15) अभियोजन साक्षी प्रतापसिंह (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना ग्राम डोंगरिया में आरोपी के घर की है। वह जंगल गया था लकड़ी के लिए। वह शाम करीब 5.00 बजे पहूंचा था। रमेश के बड़े भाई ने बताया कि झनकसिंह आरोपी रमेश के घर के पास मरा पड़ा है। फिर उसने चौकी सालेटेकरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिए थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने स्वीकार किया है कि उसे परसादी पटेल ने बताया था कि झनकसिंह हमारी बाड़ी में मरा पड़ा है। जंगल जाते वक्त अपने लड़के झनक को अपने घर पर ही छोड़कर गया था। झनकसिंह रमेश की बाड़ी में गया था। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श पी—1 पढ़कर सुनाए जाने पर ऐसा बयान पुलिस को देना स्वीकार किया। उसने अपने लड़क झनकसिंह की मृत्यु हो जाने पर मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट में हस्ताक्षर किया था। मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया

कि घटना के सम्बंध में उसे कोई जानकारी नहीं है और पुलिस को प्रदर्श पी-01 का कथन देने से भी इंकार किया।

- अभियोजन साक्षी श्रीमती केसाबाई (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 10—12 वर्ष पुरानी उसके गांव डोंगरिया की है। पति—पत्नि दोनों जंगल गये थे और जंगल से लगभग चार बजे आये थे। उसका लड़का सबेरे रमेश के घर गया था, तब शाम को वापस आने पर पता चला कि उसका लड़का मर गया है। रमेश के घर के सामने मर गया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर स्वीकार किया कि वे सभी लोग घर पर ही थे तो रमेश और मत्तु मरार दोनों उनके घर आये थे। उन्होनें उसके लड़के रमेश को अपने साथ ले गया था और यह भी कहा था कि वहां पर खाना खाकर मेरे साथ यहीं रह लेना। जब जंगल से वापस आये तो बहू तिजियाबाई से पूछा कि झनका कहां है ? फिर वे सभी लोग वहां देखने गये थे। तब वहां पर रमेश की बाड़ी पर उसका लड़का मरा पड़ा था और उसके शरीर पर वायर लपटा पड़ा हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लेख किये थे। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श पी—3 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को देना स्वीकार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण बताया है कि घटना कैसे हुई उसे इसके बार में भी कोई जानकारी नहीं है।
- अभियोजन साक्षी नरघडु (अ.सा. 5) का कहना है कि उसके घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मंगलुसिंह (अ.सा. 7) का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। ६ ाटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि दिनांक 23.10.2003 को 17—18 बजे ग्राम डोंगरिया में आरोपी रमेश ने झनकसिंह से बिजली का तार लाईन से जुड़वाया, जिससे झनकलाल को करेन्ट लग गया और उसकी मृत्यु हो गुई। उसे नहीं मालूम कि घटना रमेश की लापरवाही से हुई
- अभियोजन साक्षी धनीराम (अ.सा. 8) का कहना है कि मृतक झनकसिंह (18) ALLEN TO की मृत्यु जांच पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर हस्ताक्षर किये थे। मृतक झनकसिंह को जब

शब परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था तब उसने उस पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसने पुलिस के कहने पर पंचनामा पर हस्ताक्षर किये थे।

- (19) अभियोजन साक्षी डॉ. डी.सी. धुर्व (अ.सा. 6) का कहना है कि दिनांक 24. 10.2003 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालेटेकरी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक कपूरचंद कमांक 458 चौकी सालेटेकरी द्वारा उसके समक्ष मृतक धनसिंह व. प्रतापसिंह ग्राम डोंगरिया के शव को शव परीक्षण हेतु लाया गया था। शव परीक्षण में उसके बांये हाथ की कलाई के जोड़ के बाजू में इलेक्ट्रिक करेंट से बना वुण्ड का निशान था, जिसका आकार 1X3/4 इंच, चमड़ी की गहराई का था। एक वुण्ड 1X3/4 इंच, चमड़ी की गहराई तक कलाई के बाजू में था। उक्त चोटें उसके परीक्षण के 18 से 24 घंटे भीतर की थी और मृत्यु पूर्व की थी। कलाई के बाजू में जो बर्न वुण्ड (इलेक्ट्रिक शॉक/करेंट वुण्ड) उसके परीक्षण के 18 से 24 घंटे भीतर का था। उसके मतानुसार मृत्यु का कारण इलेक्ट्रिक शॉक है जो इलेक्ट्रिक करेन्ट शरीर में लगने के परिणाम स्वरूप हुआ है। उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—12 पर उसके हस्ताक्षर है।
- (20) अभियोजन साक्षी वाल्मिकी बंसोड़ (अ.सा. 4) का कहना है कि वह दिनांक 17.3.2004 को पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक कपूरसिंह बिसेन क. 458 द्वारा पुलिस चौकी सालेटेकरी से अपराध क. 0/2004, धारा 304-ए भा.दं.वि. की प्रथम सूचन रिपोर्ट असल कायमी हेतु थाना पर लाया था, जिसे उसने थाने असल अपराध क. 18/2004 धारा 304-ए भा.दं.वि. में पंजीबद्ध किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—11 पर उसके हस्ताक्षर है।
- (21) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी शेख इब्राहिम (अ.सा. 3) का भी कहना है कि उसने दिनांक 17.3.2004 को पुलिस थाना बिरसा में मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी—2 की सूचना दर्ज की, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मौके पर लाश पंचनामा प्रदर्श पी—4 उसके द्वारा पंचों के समक्ष बनाया गया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मर्ग जांच में उसने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—5 तथा नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—6 बनाया था जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उक्त जांच में विद्युत वायर का टुकड़ा एवं दो अन्य

वायर के टुकड़े जप्त कर जप्तीपत्र प्रदर्श पी-7 बनाया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मृतक झनकसिंह के शव परीक्षण के लिए आवेदन प्रदर्श पी-8 तैयार किया पर उसके हस्ताक्षर है। उसने मर्ग सूचना के आधार पर आरोपी रमेश द्वारा उक्त अपराध किया जाना पाया था, जिससे आरोपी रमेश के विरूद्ध धारा 304-ए भा.दं.वि. में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 कायम की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने विवेचना में प्रतापसिंह, केसाबाई, तिजियाबाई, बुधियारीबाई, नन्दगढु, मन्गतु के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे, साक्षियों ने जैसे बताये वैसे ही लेख किये थे और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध धारा 304-ए भा.दं.वि. में पेश किया था।

- अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में एवं विवेचनाकर्ता, (22)कायमीकर्ता के कथनों में तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभस है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी प्रतापसिंह, केसाबाई के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से भी एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी मगलुसिंह, नरघडु, धनीराम के द्व ारा अभियोजन का समर्थन नहीं करने से तथा अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही ध गोषित करने पर भी अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं करने से आरोपी ने दिनांक 23.10.2003 को 17–18 बजे ग्राम डोंगरिया थानांतर्गत बिरसा में मृतक झनकसिंह से लापरवाहीपूर्वक मेन लाईन से तार जुड़वाया, जिसके लगाते समय करेंट लगने से झनकसिंह की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।
- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 23.10.2003 को 17–18 बजे ग्राम डोंगरिया थानांतर्गत बिरसा में मृतक झनकसिंह से लापरवाहीपूर्वक मेन लाईन से तार जुड़वाया, जिसके लगाते समय करेंट लगने से झनकसिंह की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ए के (24) आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है। ALLIAN ST

- (25) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।
- (26) प्रकरण में जप्तशुदा तीन विद्युत वायर के टुकड़े मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट किये जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

All the state of t

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म०प्र०)